नाम न्यायालय बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/5/18	वाके ग्राम उदमाला के सम्पूर्ण हिस्से का वादी एवं उसका भाई सुगाणा उर्फ सुगाराम खातेदार काश्तकार रहा है। इसी प्रकार ख.नं. 4390, 4392, 4393, 4394 किता 4 रकबा 1.82 है० भूमि के 1/2 हिस्से में वादी व उसका भाई सुगाणा उर्फ सुगाराम खातेदार काश्तकार रहा है। वादी की ओर से पेश वाद पत्र के प्रतिवेदन में ख.नं. 3038, 3062 किता 2 रकबा 0.39 है के सम्पूर्ण हिस्से व ख.नं. 3032, 3033 किता 2 रकबा 0.32 है० के सम्पूर्ण हिस्से व ख.नं. 3030, 3034, 3063 किता 3 रकबा 1.73 है० के सम्पूर्ण हिस्से वाके ग्राम बडीगर की ढाणी तहसील शाहपुरा के वादी उसका भाई सुगाणा उर्फ सुगाराम खातेदार काश्तकार रहा है। वाद पत्र के अनुसार वादी एवं सुगाणा उर्फ सुगाराम दोनो सगे भाई थे जिनके 4 बहिने बडीदेवी, भूरीदेवी, मांगीदेवी एवं मनभरीदेवी थी। इनके पिता का नाम मानाराम उर्फ माना था। वादी के भाई सुगाणा की मृत्यु दिनांक 27/5/2016 को हो गई थी। सुगाणा की मृत्यु लावल्द हुई थी तथा उसकी पत्नि बनारसी देवी की तथा उसके माता-पिता की मृत्यु भी उसकी मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। सुगाणा की मृत्यु से पूर्व उसकी 2 बहिने बडीदेवी व मांगीदेवी की भी मृत्यु हो चुकी थी। सुगाणा की मृत्यु के समय उसकी सम्पत्ति के वारिसान एक भाई वादी व बहिने भूरीदेवी एवं मनभरी थी। बहिन भूरीदेवी की मृत्यु सुगाणा की मृत्यु के 9 दिन पश्चात दिनांक 5/6/16 को हो गई। वादपत्र में वर्णित विवादित भाराजी मुतनाजा जो कि मृतक सुगाणा के नाम रही है उसका नामान्तकरण जरिये विरासत वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के नाम खोलकर खातेदार...

(रविविजय)
उप खण्ड अधिकारी

विशेष	आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण

बनाया गया जिसे विधि विरुद्ध होने का कथन वादी ने वाद पत्र में किया। वादी ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी सं० 2 व 3 मृत बहिन मांगीदेवी की पुत्री भूरी उर्फ मूंगी एवं बहिन रूडी देवी का पुत्र बोदू है। राजस्व अधिकारी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची वर्ग-2 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरित जाकर प्रतिवादी सं० 2 व 3 को खातेदार काश्तकार बनाया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि अनुसूची वर्ग-2 की पहली प्रविष्टि में उल्लेखित वारिसानों को दूसरी प्रविष्टि की अपेक्षा एवं दूसरी प्रविष्टि के वारिसानों को तीसरी प्रविष्टि में उल्लेखित वारिसानों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। मृतक सुगना के प्रथम प्रविष्टि के कोई जीवित नहीं है वादी बहिन भूरी एवं भगवती दूसरी प्रविष्टि के सदस्य थे किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से मृत बहिनों में पुत्री प्रतिवादी सं० 2 भूरी एवं बहिन का पुत्र प्रतिवादी सं० 3 बोदू को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। वादी प्रतिवादी सं० 4 व 5 बतिसा बराबर सुगना की भागचन्द के कानूनी वारिसान होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के हकदार है।

दावा एवं दस्तावेज जिन्दा जाकर प्रतिवादी को तामील की गई एवं पत्रावली को पेशी राजस्व कैम्प दुदवाना के लिए नियत की गई। राजस्व कैम्प में प्रतिवादीगण 1 लगा० 4 उपस्थित हुये उनकी ओर से वकालतनामा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश करके दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वाद पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि मृतक सुगना उर्फ दुगनाराम एवं वादी सगे भाई थे। जिनकी चार बहिने रूडीदेवी भूरीदेवी मांगीदेवी एवं भगवती थी। प्रतिवादी सं० 3 बोदू रूडीदेवी का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं०

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

वाद अहकाम

रामचन्द्र बनाम बिहारी वगै०

नाम न्यायालय SDO शाहाबाद

केस संख्या 35/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से

बिहारी श्री की पुत्री प्रतिवादी सं० 2 श्री उर्फ मुंगी की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं० 4 भगवती मृतक दुर्गाला की जानि है। प्रतिवादी सं० 1 बिहारी की माता श्री देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु दिनांक 3/6/11 को हुई है। मृतक दुर्गालाल की मृत्यु के समय उनकी सम्पत्ति के विधिक वारिसान वादी तथा प्रतिवादी सं० 2 व 4 थी जो कि उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची वर्ग-2 की दूसरी प्रविष्टि के सदस्य हैं। मृतक की विरासत का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 के नाम तसदीक किया गया। प्रतिवादी सं० 2 व 3 मृतक बिहारी के पुत्री एवं पुत्र हैं। उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्ग-2 के दूसरी प्रविष्टि के उल्लेखित वारिसानों को तीसरी एवं चतुर्थ प्रविष्टि में उल्लेखित वारिसानों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होता है ऐसी स्थिति प्रतिवादी सं० 2 व 3 मृतक दुर्गालाल की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने राजीनामा में भी दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। कानूनन स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं खाता सं० 3399 रकबा 0.47 हे० वाके ग्राम कल्याणपुर खाता सं० 3603 रकबा 0.36 हे० खाता सं० 4390, 4392, 4393 4394 किता 4 रकबा 3.82 हे० वाके ग्राम उदावाला व खाता सं० 3038 रकबा 0.18 हे० 3062 रकबा 0.21 हे० 3032 रकबा 0.16 हे० 3023 रकबा 0.16 हे०, 3030 रकबा 0.81 हे० 3034 रकबा 0.37 हे० ख० नं० 3063 रकबा 0.55 हे० वाके ग्राम नवीगढ़ की राजी तहसील शाहपुर जिला जयपुर में प्रतिवादी सं० 2 श्री उर्फ मुंगी व प्रतिवादी सं० 3 बोदू का नाम खारिज किया जाकर इनके हिस्से में दर्ज भूमि अन्तर्गत मृतक दुर्गालाल उर्फ

रामचन्द्र **बनाम** सिरोमी कोरट

20 शाहपुरा

25/18 दफा 88, 89, 188 RTAct

...ज्ञा या ...ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रतिवादी सं. 1 सिरोमी एवं प्रतिवादी सं. 4 मगली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 18/5/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प उदावाला में सुनाया गया। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	